राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–33 / लै.टै / एफ–210 / 2023 / 161 दिनांकः 08/03/2023

–आदेश–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर अवमानना याचिका संख्या 2132/2018 जितेन्द्र शर्मा व अन्य, 808/2019 महावीर सिंह व अन्य, अवमानना संख्या 657/2019 मोहम्मद उमरदीन, अवमानना संख्या 753/2019 महेश बनाम सरकार व अन्य (इनएस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 11705/2015 जितेन्द्र शर्मा) में पारित निर्णय दिनांक 20.4.2018, का मुख्यांश निम्न प्रकार है :–

" In the result, the respondents are directed to redraw the merit list and accord appointment to the petitioners, strictly as per their merit, if they are otherwise found eligible. However, petitioners would be entitled to all the consequential benefits on notional basis.

It is made clear that the candidates, who have already been appointed, they may not be disturbed, if vacancies are available in terms of the advertisement and appointment has been according to merit."

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के तहत उक्त याचिकाकर्ताओं को सहायक रेडियोग्राफर के पदों पर नियुक्ति हेतु निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति कमांक ई–33/लै0टे0/(सीधी भर्ती)/2013/495 दिनांक 10.7.2013 को विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये, जिसके क्रम में निदेशालय के आदेश कमांक ई–33/सहा. रेडियो/भर्ती–2013/एफ–291/2022/524 दिनांक 14.12.2022 एवं 528 दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहायक रेडियोग्राफर के पद पर चयन किया गया।

अतः उक्त याचिकाकर्ताओं को निदेशालय के संशोधन आदेश कमांक ई–33/सहा0रेडियो/एफ–210/2023/138 दिनांक 27.02.2023 के द्वारा सहायक रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी का पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सा संस्थान में किया जाता है :–

S.No.	Application No	Candidate Name	Father Name	Gender	DOB	Cat	Place of Posting
1	17100000237	जितेन्द्र शर्मा	श्री घनश्याम शर्मा	M	10-7-1982	GEN	टीबी एवं चेस्ट अस्पताल, जयपुर
2	17100000457	हेमन्त कुमार शर्मा	रमेश चन्द्र शर्मा	M	14-12-1982	GEN	सामु. स्वा. केन्द्र गणेश्वर, (सीकर)
3	17100000632	जयदेव	सुखदेव	M	23-10-1987	OBC	सामु.स्वा. केन्द्र रजियासर (हनुमानगढ)
4	17100000283	ओंकामल बांकोलिया	शंकर लाल बांकोलिया	M	26-02-1982	SC	सामु.स्वा. केन्द्र मेघाना (हनुमानगढ)
5	17100000336	उमराव सिंह सैनी	तूलसी राम सैनी	M	12-07-1986	OBC	सामु.स्वा. केन्द्र गुढाचन्द्रजी (करौली)
6	–	योगेश कुमार शर्मा	गिर्राज लाल शर्मा	M	05-10-1987	GEN	सामु. स्वा. केन्द्र लांगरा (करौली)
7	17100000304	ओमशिव भगवान बुनकर	झूथालाल बूनकर	M	05-07-1984	SC	सामु.स्वा. केन्द्र, गोला (दौसा)
8	17100000520	मनीष शर्मा	बाबू लाल शर्मा	M	07-08-1981	GEN	सामु. स्वा. केन्द्र, मलारना डूंगर (सवाई माधोपुर)
9	17100000294	राजेन्द्र सिंह जेसावत	बाबू सिह जेसावत	M	22-12-1981	OBC	सामु.स्वा. केन्द्र, दत्तवास (टोंक)

S.No.	Application No	Candidate Name	Father Name	Gender	DOB	Cat	Place of Posting
10	17100000121	पंकज शर्मा	रामगोपाल शर्मा	M	11-09-1980	GEN	सामु. स्वा. केन्द्र, कामा (भरतपुर)
11	17100000852	महावीर सिंह	मान सिंह	M	14-4-1981	GEN	सामु. स्वा. केन्द्र, पलासरा (सीकर)
12	17100000552	राजकुमार वर्मा	धन्ना लाल वर्मा	M	20-11-1983	SC	मनो चिकित्सालय, जयपुर
13	17100000030	हरेन्द्र सिंह बघेल	महिपाल सिंह बघेल	M	30-10-1980	GEN	सामु.स्वा. केन्द्र, विराटनगर (जयपुर)
14	1710000079	मोहम्मद उमरदीन	बाबू भाई	M	20-07-1980	GEN	सेटैलाईट अस्पताल, सेठी कालोनी, जयपुर
15	17100000535	पवन कुमार शर्मा	उमेश चन्द शर्मा	M	11-12-1981	GEN	सामु.स्वा. केन्द्र, सामोद, (जयपुर)
16	17100000236	महेश कुमार शर्मा	राम किशौर शर्मा	M	13-2-1981	GEN	सामु.स्वा. केन्द्र, जीलो (सीकर)

उक्त पदस्थापन निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन जारी किये जा रहे है :—

1. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही पद की नियमित पे मैट्रिक्स के लेवल 8 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
2. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/03 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
3. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके सैकेण्ड्री/सीनियर हायर सैकेण्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।
4. दिनांक 1.6.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।
5. अभ्यर्थियों द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभागीय वेबसाईट(www.rajswasthya.nic.in) से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है।
6. उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के सम्मुख **स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों** की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, के मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होगे। सभी छाया प्रति स्वंय द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होगा।
7. **उक्त याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को कार्मिक (क—2) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प0 1 (1) कार्मिक/(क—2)/2016/ दिनांक 15.07.2016 के अनुरूप चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।**
8. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों में से किसी के भी फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे, अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।
9. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्याधीन है।
10. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.6(19) गृह—13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है। अतः विवाह पंजियन प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त की जावेगी। यदि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा विवाह पंजीयन नही करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नही माने जावेगें। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टॅाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क—2) विभाग के परिपत्र कमांक प015(1) कार्मिक/क—2/74 दिनांक 16.05.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।

12. उक्त अभ्यर्थियों में से जिनका पदस्थापन प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया गया है, वे अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।
13. अभ्यर्थियों के पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में अग्रिम पदस्थापन हेतु रिक्त पदों की सूचना सहित निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करें।
14. उक्त अभ्यर्थियों को **दिनांक 20.03.2023** तक संबंधित अधिकारी के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–33/लै.टै/एफ–210/2023/ 161 दिनांकः 08/03/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
3. डॉ0 विभूति भूषण शर्मा, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक एस.एन.मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
7. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
8. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
9. संबंधितत अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, जोन।
11. संबधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
12. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु0 स्वा0 केन्द्र ।
13. संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर लेख हैं आपके अधीन पदस्थापित सहायक रेडियोग्राफर अभ्यर्थियों से संबंधित मूल आवेदन पत्र की छाया प्रति प्राप्त करें एवं समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थियों को उनके पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करावें :–

(i) अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

(ii) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्याधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने के पश्चात ही प्रार्थी के मूल दस्तावेज लौटावें।

(iv) विधवा, विकलांग के प्रमाण पत्र एवं विवाह विच्छिन्न (Divorced) अभ्यर्थी को विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में सक्षम स्तर के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।

(v) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के सही होने बाबत संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vi) दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की कांट–छांट/कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं कार्यग्रहण नही करावें।

(vii) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

14. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करें।
15. उक्त याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता हैं कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें।
16. आदेश/रक्षित पत्रावली।

8/3/23
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

E:\Yadav 2020-2021\L T\LT Bharti-2020